क्रमांक : 01–04/पीडी–तीन/2455 /रायपुर, दिनांक : 01.10.2018

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर के नियमित पद पर कार्य करने के इच्छुक निम्नानुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज की **वेबसाइट www.cspc.co.in पर दिनांक 06.10.2018 समय 17:00 बजे से** ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते है :–

1. **पदों का विवरण** – डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पदों के साथ रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण निम्नानुसार है :–

अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	योग
15	05	20	– –	40

2. **मूल निवासी** – छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूलनिवासी होना अनिवार्य है।

3. **डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर के पद का दायित्व** – डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर्मी द्वारा संबंधित कार्यालय के टंकण संबंधी सभी कार्य किये जावेंगे एवं एम.एस. ऑफिस में मुख्यतः एम.एस. वर्ड, एम.एस. एक्सल, एम.एस. पॉवर प्वाइंट, एम.एस. एक्सेस तथा इंटरनेट से संबंधित सभी कार्य एवं नस्तियों का व्यवस्थित रूप से संधारण का कार्य, कर्मचारियों/अधिकारियों के सहायक के रूप में किया जायेगा।

4. **प्रशिक्षुवृत्ति / वेतन** – डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर पद का **पे–मेट्रिक्स एस–4, रूपये 19800–62600/–** है। डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी, जिसमें प्रशिक्षण अवधि भी शामिल होगी। दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि में **रूपये 19800/– प्रतिमाह** देय होगा।

5. **आयु सीमा** – आयु सीमा की गणना **दिनांक 01.10.2018** को आधार मानकर की जावेगी।

न्यूनतम आयु सीमा – 18 वर्ष
अधिकतम आयु सीमा –
अनारक्षित (पुरूष/महिला/दिव्यांग) – 35 वर्ष
अनुसूचित जाति (पुरूष/महिला/दिव्यांग) – 40 वर्ष
अनुसूचित जनजाति (पुरूष/महिला/दिव्यांग) – 40 वर्ष
अन्य पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला/दिव्यांग) – 40 वर्ष

भूतपूर्व सैनिको को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जावेगी, जिसके अंतर्गत दिनांक 01.10.2018 की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार की आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम कर अनुज्ञात की जाएगी, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु ज्ञात होगी, वह उच्चतर आयु से 03 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. शैक्षणिक योग्यता –

(क) यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री उत्तीर्ण, **एवं**

(ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटाएण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र, **तथा**

(ग) कम्प्यूटर में अंग्रेजी एवं हिन्दी में 5,000 की डिप्रेशन (Key Depression) प्रतिघण्टा की गति।

पॉवर कंपनी के परिपत्र क्रमांक 1384 दिनांक 11.06.2018 के अनुसार उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता में कम्प्यूटर संबंधी अर्हता को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :–

1. ऐसे आवेदक/आवेदिका जो यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त संस्था से :–

   - बी.ई. (कम्प्यूटर साईंस/इन्फरमेशन टेक्नोलॉजी), बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस/ इन्फरमेशन टेक्नोलॉजी), बी.सी.ए. में द्वितीय श्रेणी में स्नातक है **अथवा**

   - द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस/इन्फरमेशन टेक्नोलॉजी), एम.सी.ए. स्नातकोत्तर है। उन्हें कम्प्यूटर संबंधी योग्यता के लिए पृथक से अन्य प्रमाण पत्र यथा डी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए. प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

2. ऐसे आवेदक/आवेदिका जो उपरोक्त से भिन्न पाठ्यक्रम (Course) में द्वितीय श्रेणी में स्नातक है, उन्हें कम्प्यूटर संबंधी योग्यता के लिये यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त संस्था से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम (Course) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है :–

   - कम्प्यूटर साईंस/इन्फरमेशन टेक्नोलॉजी/मार्डन आफिस मैनेजमेंट में त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा डी.सी.ए. में एक वर्षीय डिप्लोमा **अथवा**

   - आई.टी.आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट (COPA) व्यवसाय में एक वर्षीय कोर्स **अथवा**

   - पी.जी.डी.सी.ए.।

7. आरक्षण –

(क) **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण–** पॉवर कंपनीज के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जावेगा। आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवारों को दस्तावेजों के परीक्षण के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम नॉन कीमिलेयर सर्टिफिकेट अथवा केन्द्रीय सेवा हेतु जारी नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक का चयन/नियुक्ति आरक्षित कोटे के तहत होती है तो उसे कार्यभार ग्रहण करते समय छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 13–4/2006/अ.प्र./1–3, दिनांक 29.06.2013 में निहित शर्तों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) **भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण** – भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को नियमानुसार आरक्षण की पात्रता होगी, इस हेतु उन्हें दस्तावेजों के परीक्षण के समय सेवामुक्ति प्रमाण पत्र (Discharge Certificate) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) **महिला आरक्षण** – छत्तीसगढ राज्य की मूल निवासी महिला उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत समस्तर एवं प्रभागवार (Horizontal & compartment wise) आरक्षण की पात्रता है।

(घ) **दिव्यांगजन आरक्षण** – छत्तीसगढ राज्य के मूल निवासी दिव्यांगजन उम्मीदवारों को 6 प्रतिशत समस्तर एवं प्रभागवार (Horizontal & compartment wise) आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये दिव्यांगजन उम्मीदवारों को दस्तावेजों के परीक्षण के समय छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 दिनांक 27.09.2014 के अनुसार कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता का सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी/मेडिकल बोर्ड का निर्धारित प्रारूप में निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पॉवर कंपनीज के नियमानुसार डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर पद के लिए चिन्हांकित निःशक्तता निम्नानुसार है :–

क्रमांक	चिन्हांकित निःशक्तता का प्रकार	
1	अस्थि बाधित	OA / OL / OAL / BL
2	दृष्टि बाधित	B / LV
3	श्रवण बाधित	HH

8. **आवेदन कैसे करें** – डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर की भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव/ जानकारी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज की **वेबसाइट www.cspc.co.in** पर उपलब्ध है। उक्त सुझावों को ध्यान से पढ़कर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाऐगें। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डॉक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावेगे।

9. **आवेदन शुल्क** – अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को रूपये 700/– (सात सौ पचास रूपये मात्र) एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रूपये 500/– (पॉच सौ रूपये मात्र) के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। उम्मीदवार द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू.पी.आई. या उपलब्ध कराए गए अन्य डिजिटल माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान किया जावेगा। आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा।

10. **आवेदन प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक** – ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने का **अंतिम दिनांक 05.11.2018, समय 17:00 बजे** तक है।

11. चयन प्रक्रिया –

(क) **लिखित परीक्षा** – डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर के पदों के लिए प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों के उम्मीदवारों की **लिखित परीक्षा** रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर में आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दो भाषाओं में होंगे। लिखित परीक्षा तीन घण्टे की होगी। लिखित परीक्षा में 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 (एक) अंक का होगा। गलत उत्तर देने पर $\frac{1}{4}$ अंक की कटौती की जावेगी। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों का समावेश होगा :–

(क)	सामान्य ज्ञान	–	50 अंक
(ख)	सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान	–	30 अंक
(ग)	सामान्य मानसिक योग्यता	–	30 अंक
(घ)	सामान्य गणित	–	30 अंक
(ड)	सामान्य हिन्दी (व्याकरण)	–	40 अंक
(च)	सामान्य अंग्रेजी (व्याकरण)	–	20 अंक

लिखित परीक्षा के कुल 200 अंकों में से 40% अंक अर्जित करने वाले अनारक्षित व अन्य पिछडा वर्ग प्रवर्ग के उम्मीदवार एवं 30% अंक अर्जित करने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के उम्मीदवार चयन प्रकिया के अगले चरण अर्थात कौशल परीक्षा हेतु सफल माने जाऐगे।

(ख) **कौशल परीक्षा** – लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची निर्मित की जाएगी। प्रावीण्य सूची में से विज्ञापित पदों की प्रवर्गवार संख्या के **पॉच गुना** उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जावेगा। कौशल परीक्षा निम्नानुसार होगी :–

(1) कम्प्यूटर में अंग्रेजी में 5000 की–डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति की परीक्षा – 50 अंक

(2) कम्प्यूटर में हिन्दी में 5000 की–डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति की परीक्षा – 50 अंक

अंग्रेजी एवं हिन्दी की उक्त कौशल परीक्षा में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 50–50 अंको की प्रत्येक कौशल परीक्षा में **35 अंक** अर्जित करने वाले अनारक्षित व अन्य पिछडा वर्ग प्रवर्ग के उम्मीदवार एवं **30 अंक** अर्जित करने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के उम्मीदवार सफल माने जाऐगें।

(ग) अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा की कम्प्यूटर कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की लिखित एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के योग के आधार पर प्रावीण्य सूची निर्मित की जाऐगी।

(घ) प्रावीण्य सूची में से विज्ञापित पदों की प्रवर्गवार संख्या के **तीन गुना** उम्मीदवारों को दस्तावेजों के परीक्षण के लिए बुलाया जावेगा।

(ड़) दस्तावेजों के परीक्षण में पात्र पाए गए उम्मीदवारों की लिखित एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर निर्मित प्रावीण्य सूची में से छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण रोस्टर के अनुसार विज्ञापित पदों की पूर्ति की जावेगी।

(च) अंक समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों के जन्म दिनांक के आधार पर वरिष्ठ उम्मीदवार का नाम वरीयता क्रम में उपर रखा जावेगा। अंक एवं जन्म दिनांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों के नाम के अंग्रेजी के प्रथम अक्षर के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उम्मीदवार की वरीयता निर्धारित की जावेगी।

12. अन्य शर्तें –

(i) उम्मीदवार विज्ञापन में आरक्षणवार पदों की स्थिति का अवलोकन कर ही ऑनलाईन आवेदन करें। सफलतापूर्वक ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन, सुधार या सुधार संबंधी अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा।

(ii) उम्मीदवार को ऑनलाईन आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने व सफल होने मात्र से विज्ञापित पदों पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। उसे विज्ञापन में उल्लेखित समस्त शर्तों व मापदण्डो को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

(iii) ऑनलाईन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा लिखित एवं कौशल परीक्षा हेतु चयनित परीक्षा स्थल/शहर की संख्या अस्थायी है। पॉवर कंपनी को उम्मीदवारों की संख्या के दृष्टिगत परीक्षा स्थल की संख्या में वृद्धि या कमी अथवा परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार है।

(iv) पॉवर कंपनी को विज्ञापित पदो की संख्या में वृद्धि या कमी करने अथवा सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

(v) डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर पद की भर्ती की चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अथवा उम्मीदवार की नियुक्ति के पश्चात यह ज्ञात होता है कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि असत्य एवं फर्जी है तो उसकी उम्मीदवारी अथवा नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त या बर्खास्त कर दी जावेगी।

(vi) चयनित उम्मीदवार की पदस्थापना ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत की जाएगी। पदस्थापना के उपरांत नियोजन काल में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

(vii) डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर्मियों की सेवाएँ पॉवर कंपनीज में लागू एवं समय–समय पर संशोधित नियम, अधिनियम, परिपत्र, आदेश के अधीन नियंत्रित होगी।

(viii) छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत नियुक्ति को नियोक्ता अथवा कर्मी द्वारा क्रमशः एक माह का नोटिस या नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकेगा।

(ix) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा एवं दस्तावेजों के परीक्षण में उपस्थित होने के लिए द्वितीय श्रेणी का रेल या वास्तविक बस किराया, जो न्यूनतम दूरी के मार्ग का हो, पॉवर कंपनी के नियमानुसार टिकट प्रस्तुत करने पर दिया जावेगा।

(x) ऑनलाईन आवेदन हेतु सहायता के लिए **कार्यालयीन दिवस में समय प्रातः 11:00 से सायं 05:00 तक दूरभाष क्रमांक 0771-2574166 एवं ई–मेल helpdesk.recruitment@cspc.co.in** के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है।

महाप्रबंधक (मा.सं.)
छ.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. रायपुर